राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ, जिला धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – हेमन्त कुमार घनघोर (आर0 ए0 एस0)
प्रकरण संख्या–91/2020

1– भीकम उर्फ भीकमसिंह पुत्र वेदरिया जाति गडरिया निवासी पडाका मजरा कांकोली तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर।

.....वादीगण

बनाम

1–आशनदेई पुत्री बूचा
2– कलुआ पुत्र बूचा
3– पूरन पुत्र पाती
4– परमा पुत्र पाती
5– भूरीसिंह पुत्र बूचा
6– महादेवा पुत्र बूचा
7– राजाराम पुत्र पाती
8– गंगादेई पत्नी पूरन
9– दिलीप कुमार पुत्र श्रीकृष्ण
10– पंजाब नेशनल बैंक शाखा सैपऊ जरिये प्रबंधक
11– भूमि विकाश बैंक शाखा धौलपुर जरिये प्रबंधक
12– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैंपऊ वहैसियत लैण्ड होल्डर

..... प्रतिवादीगण

दावा बटवारा काश्त व स्थाई निषेधाज्ञा हस्व
दफा 53 व 188 आर0टी0एक्ट

उपस्थिति – 1– श्री सुरेन्द्र कुमार दुबे एडवोकेट..... (वादीगण)

निर्णय

दिनांक 13/2/25

संक्षिप्त में उक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में वास्ते बटवारा काश्त मय स्थाई निषेधाज्ञा विवादित आराजी खाता संख्या 88 के खसरा नम्बर 1258 रकवा 0.4046 हे0, 1259 रकवा 0.3637 हे.,1265 रकवा 0.0253 हे., 1266 रकवा 0.3920 हे., 1287 रकवा 0.1770 हे., 1288 रकवा 0.1644, 1294 रकवा 0.1770 हे., 1297 रकवा 0.3794 हे., 1298 रकवा 0. 1897 हे., 1302 रकवा 0.0253 हे., 1303 रकवा 0.4173 हे., 1520 रकवा 0.2150 हे. कुल किता 12 कुल रकवा 2.9337 हे0 स्थित वाके ग्राम कांकोली तहसील सैंपऊ धौलपुर तथा खाता संख्या 86 के आ.ख.न. 1067 रकवा 1.5933 हे कुल किता 1 कुल रकवा 1.5933 स्थित वाके ग्राम कांकोली तहसील सैंपऊ जिला धौलपुर का पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

गुणावगुण के आधार पर दावा दिनांक 12.5.2022 को दावा प्रारंभिक रूप से डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयातं का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उनके रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिये गये कि वह अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के पक्षकारों के रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सों के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा अपने पत्रांकःराजस्व/2023/74 दिनांक 07.02.2023 विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवायें। विद्वान वादीगण अभिभाषकगण को विभाजन प्रस्ताव पर सुना गया तथा विद्वान वादीगण अभिभाषकगण द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा अन्तिम डिक्री करने बाबत सहमति जाहिर की एवं हस्ताक्षर किये। तहसीलदार सैपऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार सैपऊ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों के दर्ज हिस्से अनुसार ही हैं। तहसीलदार द्वारा विभाजित खसरा नम्बरों के बावत् प्रस्तावित तरमीम नक्शा भी प्रेषित किया है। ऐसी स्थिति में दावा वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री करना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित वाकेग्राम कांकोली पटवार हल्का कांकोली तहसील सैपऊ के बाबत् पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है:—

1— भीकमसिंह पुत्र वेदरिया जाति गडरिया सा.पडाका मजरा कांकोली खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सैपऊ

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1067/1	0.7967
2.	1258	0.4046
3.	1265	0.0253
4.	1266	0.3920
5.	1298/1	0.1560
योग	किता— 5	रकवा—1.7746 हैक्टेयर

2— भूरीसिंह कलुआ महोदवा पुत्रान बूचा आशनदेई पुत्री बूचा हि.ब. जाति गडरिया सा. देह. खातेदार राहिन भूमि विकास बैंक

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1287	0.1770
2.	1288	0.1644
3.	1294	0.1770
4.	1297	0.3794
5.	1302	0.0253
6.	1303/2	0.0211
7.	1298/2	0.0337
योग	किता— 7	रकवा—0.9779 हैक्टेयर

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

उपखण्ड अधिकारी
सैंपऊ

CamScanner

3–परमा पूरन राजाराम पुत्रान पाती हि.ब. जाति गडरिया सा0देह खातेदार राहिन भूमि विकास बैंक शाखा धौलपुर।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1259	0.3667
2.	1303/1	0.3962
3.	1520	0.2150
योग	किता– 3	रकवा–0.9779 हैक्टेयर

4– गंगादेई पत्नी पूरन, परमा पुत्र पाती हि.ब. 2/3 जाति गडरिया सा.देह. खातेदार राहिन पीएनबी शाखा सैपऊ दिलीप कुमार पुत्र श्रीकृष्ण हिस्सा 1/3 जाति ठाकुर सा. हाजीपुर खातेदार ।

क्र0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	1067/2	0.7966
योग	किता– 1	रकवा–0.7966 हैक्टेयर

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही यह आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बरान की आदेशानुसार राजस्व नक्शा में तरमीम की जावे एवं उभपक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वह एक–दूसरे के हिस्से में आयी आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 13/2/25 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ